(3)
(5)

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

Writ Petition No. 128 /2000

PETITIONERS : (1) Ganpat Lal Sharma s/o Jagannath Sharma aged about 67 years resident of Sanjay Ward, Tahsil Bhatapara Distt. Raipur.

(2) Prem Lal Sahu s/o Panch Ram Sahu aged about 30 years resident of village Tundari, Tah. Bhilaigarh, Distt. Raipur.

(3) Rakesh Sharma s/o Vinod Sharma aged about 26 years resident of Nayapara, Tah. Bhatapara Distt Raipur.

V E R S U S

RESPONDENTS (1) State of Chhattisgarh Through: Secy. Mines Work Department, D.K. Bhawan, Raipur.

(2) Collector, Raipur Distt. Raipur.

(3) D.F.O., Raipur, Raipur Circle, Raipur

(4) Director of Materials and Mines Works Raipur, Chhattisgarh

Union of India
Through Secretary
Department of Mines & Minerals,
New Delhi.

No. 124 Filed by Shri M. Bhasin

Amended as per Order dated 17.1.2001 in Petition

IN THE MATTER OF ARTIC

(1) Particulars of the

XI-HC-22

(72)

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

W.P. No. 128/2000

मामला क्रमांक ..... / सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

03.02.2004

याचिकाकर्तागण द्वारा श्री जे0के0 शास्त्री, अधिवक्ता ।

शासन द्वारा श्री राजेश पांडे, शासकीय अधिवक्ता ।

न्याय मित्र द्वारा श्री आर0एस0 जायसवाल, अधिवक्ता ।

सुना गया ।

यह याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा (*अनुलग्नक पी/1, पी/2 और पी/3*) चूना पत्थर गौण खनिज उत्खनन हेतु याचिकाकर्तागण का उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया गया, जिसका निष्पादन अनुबंध भी किया गया । दिनांक 30.9.2000 (*अनुलग्नक/पी–एस*) को अनावेदक क्रमांक 4 के द्वारा याचिकाकर्तागण के उत्खनिज पट्टे को निरस्त किया गया ।

बतौर न्याय मित्र श्री आर0एस0 जायसवाल, अधिवक्ता को सुना गया । उनके द्वारा बताया गया कि म0प्र0/छ0ग0, गौण खनिज नियम 1996 के नियम 57 के अंतर्गत अपील का प्रावधान है । यह भी बताया गया कि संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के समक्ष अपील की जा सकती है ।

[पीछे देखिये

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

W.P.No. 128/2000

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

याचिकाकर्तागण द्वारा यह कहा गया कि याचिका सद्भावपूर्वक प्रस्तुत की गई एवं इसके लंबित रहने के दौरान समय बीत गया, यदि वैकल्पिक उपचार है तो मौका दिया जाये।

तथ्यों और परिस्थितियों को विचार करने के उपरांत, याचिकाकर्तागण को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्तागण आज से 15 दिवस के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते है तो उक्त अपील को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा गुण एवं दोष पर विचार एवं निसकृत किया जायेगा । यदि आदेश विरूद्ध मे पारित होता है तो पक्षकार दूसरा विधि के अनुरूप उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है ।

इस स्तर पर याचिका को निराकृत किया जाता है ।

नियम के अनुसार सत्यप्रतिलिपि ।

Sd/-
Fakhruddin
Judge